राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1107/2009

मोहनलाल जाटव पुत्र श्री स्व. श्री नथोलीराम जाटव निवासी–शक्तिनगर कॉलोनी, खुदनपुरी रोड अलवर।

–अपीलार्थी

बनाम

1. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
2. श्री गिरीराज पारीक, वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय उ.म.नि., भरतपुर।
3. श्री रामगोपाल सैन, वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय उपपंजीयक नागौर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.10.2009
आदेश की दिनांक : 14.12.2022

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री मानसिंह गुप्ता, अभिभाषक
राज्य सरकार की आर से : श्री हेमन्त धारीवाल, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी, जो कि प्रत्यर्थी विभाग के अधीन कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत है, ने यह अपील आदेश दिनांक 16.09.2009 (अनुलग्नक–ए–11) एवं 22.09.2009 (अनुलग्नक–ए–12) को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की है।
2. अपील के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक के पद पर अनुलग्नक–1 दिनांक 30.07.1987 द्वारा अस्थाई रूप से 6 माह अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी होने तक, जो भी पहले हो, की गई थी। अनुलग्नक–2 दिनांक 20.12. 1989 राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की कनिष्ठ लिपिक (संयुक्त) प्रतियोगिता परीक्षा, 1986 की अंकतालिका है, जिसमें अपीलार्थी सम्मिलित हुआ था तथा उक्त परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अनुलग्नक–3 दिनांक 11.10. 1993 द्वारा कनिष्ठ लिपिक परीक्षा, 1986 में चयनित घोषित किये जाने की दिनांक से अपीलार्थी को आगामी समस्त वेतन वृद्धिया स्वीकृत की गई।

अनुलग्नक–4 दिनांक 07.04.1994 द्वारा अपीलार्थी की नियुक्ति को नियमित किया जाकर आरपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने की दिनांक या उनके द्वारा सेवा पूर्ण करने की तिथि से या उनके वर्ष पूर्व होने वाली तिथि दोनों में से जो बाद की हो, से स्थाई किया गया। अनुलग्नक–5 दिनांक 11.03.2008 द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 20.12.2007 को 18 वर्ष की संतोषप्रद सेवाएं पूर्ण करने पर दिनांक 20.12.1989 नियमित तिथि से सेवा की गणना करते हुए 18 वर्षीय चयनित वेतनमान स्वीकृत किया गया। अनुलग्नक–6 दिनांक 11.03.2005 द्वारा विभाग में कार्यरत स्थाई/अस्थाई कनिष्ठ लिपिकों की अस्थाई वरिष्ठता सूची, जिसमें दिनांक 01.04.2004 की स्थिति दर्शाई गई थी, जारी की गई जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रमांक–25 पर दर्शाया गया और उससे कनिष्ठ व्यक्ति श्री अलीशेर का नाम क्रमांक–35 पर, श्री इन्द्र प्रकाश अरोड़ा का नाम क्रमांक–36 पर, श्री कमलेश गोपलानी का नाम क्रमांक–37 पर, श्री मोहन सिंह रावत का नाम क्रमांक–38 पर, प्रत्यर्थी संख्या–2 श्री गिर्राज पारीक का नाम क्रमांक 39 पर, श्री रामगोपाल का नाम क्रमांक 41 पर, श्री सहदेवसिंह चारण का नाम क्रमांक–46 पर व श्री ग्यारसीलाल ढाबरिया का नाम क्रमांक–47 पर दर्शाया गया। उक्त वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी के नाम के आगे सीधी भर्ती आर.पी.एस.सी. पास उचित रूप से दर्शाया गया। अपील में अंकित किया गया है कि पुनः आदेश दिनांक 07.07.2008 के द्वारा कनिष्ठ लिपिकों की अस्थाई वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2008 की स्थिति दर्शाते हुए जारी की गई है। जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रमांक–11 (अनुलग्नक–7) पर दर्शाया गया। इसी सूची में अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों के नाम क्रम संख्या 19 से 25, 30 व 31 पर दर्शाया गया। प्रत्यर्थी संख्या–2 को क्रमांक–23 व प्रत्यर्थी संख्या–3 को क्रम संख्या–25 पर दर्शाया गया। तत्पश्चात् कार्यालय आदेश 19.02.2009 (अनुलग्नक–8) द्वारा पुनः कनिष्ठ लिपिकों की एक अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी की गई जिसमें अपीलार्थी को अनुचित रूप से क्रम संख्या–35 पर दर्शाया गया तथा प्रत्यर्थी संख्या–2 का नाम क्रम संख्या–6 पर एवं प्रत्यर्थी संख्या–3 का नाम क्रम संख्या–8 पर व अन्य कनिष्ठों के नाम 13 व 14 पर दर्शाये

गये। .यह भी विशेष विवरण के कॉलम में अंकित किया गया कि अपीलार्थी को कार्यालय आदेश दिनांक 07.04.1994 द्वारा नियमितिकरण किया गया है। उक्त वरियता सूची के विरूद्ध अपीलार्थी ने दिनांक 02.03.2009 को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् कार्यालय आदेश दिनांक 27.07. 2009 (अनुलग्नक–10) द्वारा कनिष्ठ लिपिकों की दिनांक 01.04.2009 की स्थिति दर्शाते हुए अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी की गई जिसमें भी अपीलार्थी से कनिष्ठों को अनुचित रूप से उपर दर्शाया गया है। इसके पश्चात आलौच्य आदेश अनुलग्नक–11 दिनांक 16.09.2009 की स्थाई वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी से कनिष्ठों को ऊपर दर्शा दिया गया। अपीलार्थी का आरोप है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण करने की दिनांक से उसे स्थाई कर दिया गया तो वह उसी दिनांक से वरिष्ठता का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी ने प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार की जाकर वरिष्ठता सूची दिनांक 16.09. 2009 (अनुलग्नक–11) द्वारा क्रम संख्या–1 पर दर्शाये गये श्री वीरेन्द्र कुमार के नीचे व क्रम संख्या–2 में दर्शाये गए श्री अलीशेर के उपर अपीलार्थी का नाम दर्शाया जाकर वरिष्ठता सूची को संशोधित करने एवं उससे कनिष्ठों को अनुलग्नक–12 दिनांक 22.09.2009 से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत किये जाने की तिथि से समस्त लाभ सहित पदोन्नत किया जावें।

3. प्रत्यर्थी राज्य सरकार द्वारा अपने जवाब में अंकित किया है कि अपीलार्थी की नियुक्ति आदेश दिनांक 30.07.1987 द्वारा अस्थाई आधार पर की गई थी एवं नियमित नियुक्ति दिनांक 07.04.1994 से की गई थी। नियुक्ति के पश्चात अपीलार्थी द्वारा आर.पी.एस.सी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी परंतु राज्य सरकार द्वारा अन्य विभाग आवंटन किया गया जहां अपीलार्थी नहीं गया और इसी वजह से अपीलार्थी की आदेश दिनांक 07.04.1994 के द्वारा नियमित नियुक्ति की जाकर वरिष्ठता का निर्धारण किया गया है और तदनुसार वरिष्ठता सूची जारी की गई है। यह भी अंकित किया गया है कि अपीलार्थी ने आर.पी.एस.सी. द्वारा कनिष्ठ लिपिक संयुक्तम प्रतियोगिता परीक्षा, 1986 में सम्मिलित होने की अंकतालिका प्रस्तुत की है जो रिकॉर्ड

के आधार पर स्वीकार है परंतु अंकतालिका में अंकित है कि अपीलार्थी की पात्रता की जांच नहीं की गई है। अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपील अपीलार्थी खारिज करने की प्रार्थना की है।

4. हमनें पक्षकारान की बहस सुनी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया।

5. अभिलेख से यह स्थिति विवाद रहित है कि अपीलार्थी की नियुक्ति प्रत्यर्थी सख्या–1 द्वारा अस्थाई रूप से आदेश दिनांक 30 जुलाई, 1987 (अनुलग्नक–ए–1) द्वारा की गई थी। तत्पश्चात् समय–2 पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कनिष्ठ लिपिक हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई जिसको अपीलार्थी द्वारा दिनांक 20.12.1989 को उत्तीर्ण कर लिया गया जिसकी अंकतालिका (अनुलग्नक–ए–2) है। इसी आधार पर अपीलार्थी को आदेश दिनांक 11.10.1993 (अनुलग्नक–ए–3) द्वारा उक्त परीक्षा में चयनित घोषित किये जाने की दिनांक से आगामी समस्त वेतन वृद्धियां स्वीकृत कर दी गई। यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा अन्य समान परिस्थितियों वाले कनिष्ठ लिपिकों के साथ आदेश दिनांक 07.04.1994 (अनुलग्नक–ए–4) द्वारा नियमित किया गया जिसके अंतिम पेरा के नोट संख्या–1 में यह स्पष्ट किया गया कि सुरेन्द्र कुमार जिसका नाम क्र.सं. 1 पर दर्शाया गया है तथा सूची में अपीलार्थी मोहनलाल जाटव जिसका नाम क्र.सं. 8 पर दर्शाये गए द्वारा आर.पी.एस. सी. की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई थी, इसलिये इन दोनों की नियुक्तियों को नियमित किया जाकर आरपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने की दिनांक या उनके द्वारा सेवा ज्वाईन करने की तिथि से 2 वर्ष पूर्ण होने वाली तिथि, दोनों में से जो बाद की हो, स्थायी किया जाता है। इन दोनों के अतिरिक्त सूची में दर्शाये गये अन्य कनिष्ठ लिपिकों के लिये क्रमशः 10. 05.1994, 08.05.1995, एवं 09.05.1996 को विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होकर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने पर दिनांक 05.04.1997 से उनकी सेवायें समाप्त समझी जायेगी। यह भी स्पष्ट किया गया कि इन सभी कनिष्ठ लिपिकों का स्थायीकरण विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से किया जायेगा। उक्त आदेश

के अंतिम पेरा के नोट संख्या–3 में यह भी स्पष्ट किया गया कि आरपीएससी उत्तीर्ण करने वाले कनिष्ठ लिपिकों को छोड़कर शेष अन्य सभी कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्तियां नियमित की जाती है। उपरोक्त पेरा के अंतिम नोट संख्या–1 से 3 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी की नियुक्ति का नियमितीकरण कर दिया गया, साथ ही उसको दिनांक 20.12.1989 जो कि उसके द्वारा आरपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि थी तथा उसके द्वारा 2 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की अवधि थी, से स्थायी कर दिया गया एवं संभवतः इसी आधार पर आदेश दिनांक 11.03.2005 (अनुलग्नक–ए–6) की स्थाई वरिष्ठता सूची एवं आदेश दिनांक 07.07.2008 (अनुलग्नक–ए–7) की वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या–2 एवं 3 के उपर दर्शाया गया है, किंतु आदेश दिनांक 27.07.2009 (अनुलग्नक–ए–10) की स्थाई वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम प्रत्यर्थी संख्या–2 एवं 3 के न केवल नीचे, बल्कि क्र.सं. 35 पर दर्शाया गया है, जिस पर अपीलार्थी द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई, किंतु उस आपत्ति का निस्तारण किये बिना ही दिनांक 16.09.2009 (अनुलग्नक–ए–11) से स्थाई वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई, जो कि अस्थाई वरिष्ठता सूची के अनुरूप ही थी। अपीलार्थी का आपत्ति संबंधी प्रार्थना पत्र अनुलग्नक–ए–9 के द्वारा दिनांक 02.03.2009 को अस्थायी वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता क्रम में संशोधन किये जाने बाबत् निवेदन किया, जिसमें यह कारण अंकित किया गया कि अपीलार्थी द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई। प्रत्यर्थी संख्या–1 की ओर से नोटशीट की प्रति (अनुलग्नक–आर–1) प्रस्तुत की गई है, जिसमें भी अपीलार्थी का अन्य विभागों में नहीं जाने का कथन अंकित है।

6. जैसा कि उपरोक्त विवेचन में व्यक्त किया गया है कि जब अपीलार्थी द्वारा अन्य कर्मचारियों एवं प्रत्यर्थीगण से पहले आरपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई एवं जिसके कारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को आदेश दिनांक 07.04.1994 द्वारा भूतलक्षीय प्रभाव से, जिस दिनांक से अपीलार्थी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, स्थायी घोषित कर दिया गया तथा वर्ष 2008 तक उसकी वरियता प्रत्यर्थी

संख्या–2 एवं 3 के उपर रखी जाती रही तो बाद में ऐसे में कौनसे कारण थे कि वर्ष 2009 में अपीलार्थी को न केवल प्रत्यर्थी संख्या–2 एवं 3 से बल्कि अन्य कर्मचारियों से भी नीचे कर दिया गया। जहां तक प्रत्यर्थी विभाग के इस अभिकथन का संबंध है कि अपीलार्थी को अन्य विभाग आंवटित कर दिया गया था, किंतु वह नहीं गया तथा उसने इसी विभाग में तदर्थ आधार पर निरंतर सेवा में रहने की स्वीकृति दी गई है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग का यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है एवं अधिकरण के मत में वर्ष 2008 तक की स्थिति को अकस्मात ही वर्ष 2009 में परिवर्तित किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण प्रतीत नहीं होता, क्योंकि स्वीकृत तौर पर अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या–2 एवं 3 से पूर्व सेवा में स्थाई कर दिया गया था तथा अधिकरण के मत में अपीलार्थी हर दृष्टि से प्रत्यर्थी संख्या–2 एवं 3 से वरिष्ठ था।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिये जाते है कि आदेश दिनांक 16.09.2009 (अनुलग्नक–ए–11) द्वारा जारी स्थायी वरिष्ठता सूची वर्ष 2009 में अपीलार्थी का नाम क्रम सं. 1 पर दर्शाये गये श्री वीरेन्द्र कुमार के नीचे तथा क्र.सं. 2 पर दर्शाये गये श्री अलीशेर के नाम के उपर अर्थात् क्र.सं. 2 पर दर्शाते हुए संशोधित करें। तदानुसार अपीलार्थी को वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति (यदि अपीलार्थी अन्यथा पदौन्नति का पात्र हो) समस्त पारिणामिक लाभ सहित उस दिनांक से प्रदान की जाये, जिस दिनांक से उससे कनिष्ठ कर्मचारी को पदौन्नत किया गया है। आदेश की पालना 3 माह में की जावें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)